

चेकलिस्ट क्र.-26

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि/राजस्व वनभूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

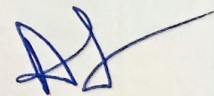
भाग-I

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

प्रस्ताव की आनलाईन पंजीयन क्र.- FP/CG/Other/154619/2022

1. परियोजना विवरण	
(i) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत बिलासपुर वन परिक्षेत्र के तथा राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) का रकबा 0.0191 हे. भूमि में 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के गैरवानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग पर दिये जाने की मांग की जाती है। इस कार्य से छत्तीसगढ़ राज्य को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होगी तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं (उर्वरक, बिजली, इस्पात एवं कोयला क्षेत्र) द्वारा प्राकृतिक गैस/रिगैसीफाइड एलएनजी के उपयोग को सक्षम बनाया जा सकेगा।
(ii) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	संलग्न है।
(iii) परियोजना की लागत	1446.89 करोड़ (एक हजार चार सौ छैयालीस करोड़ नवासी लाख रुपये)
(iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के गैरवानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग पर दिये जाने से छत्तीसगढ़ राज्य को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होगी।
(v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं है।
(vi) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	शासन हित में भारत सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना है। जिससे जन सामान्य को प्राकृतिक गैस आपूर्ति/संचार व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो सकेगी तथा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी पैदा होगा।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	भारत सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना है। जिससे जन सामान्य को प्राकृतिक गैस आपूर्ति/संचार व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो सकेगी तथा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी पैदा होगा। तथा इस कार्य में 0.0191 हे. राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) कुल 0.0191 हे. भूमि की आवश्यकता न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	वन/राजस्व वनभूमि से कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार विस्थापित नहीं होगा।

(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	निरंक
(iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	निरंक
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)	नहीं। पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम 1986) के अंतर्गत पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)	छत्तीसगढ़ राज्य के खैरागढ़ जिले के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत 5.2033 हे., बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत 0.0191 हे., कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत 2.0873 हे., जांजगीर -चांपा व सक्ती जिले के जांजगीर - चांपा वनमंडल अंतर्गत 4.8054 हे. एवं रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत 3.5758 हे. इस प्रकार 15.6909 हे. कुल वनभूमि प्रकरण में प्रभावित हो रही है। प्रभावित हो रही भूमि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये CA Land खैरागढ़ वनमंडलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा एवं निर्धारित की जाने वाली राशि आवेदक संस्थान द्वारा वन विभाग को उनके मांग के अनुरूप जमा की जावेगी। दर में परिवर्तन होने पर उसके अंतर की राशि भी दी जावेगी। वचन पत्र संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	संलग्न है।



(एम.वी. अरविन्द)
 उप-महाप्रबंधक (परियोजना)
 गेल (इंडिया) लिमिटेड
 तेलोबाधा रायपुर (छ.ग.)
 Deputy General Manager (Construction)
 गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
 GAIL (India) Ltd. Raipur

चेकलिस्ट क्र.-26

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग- II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव का आनलाईन पंजीयन क्रं.- FP/CG/Other/154619/2022

7.	परियोजना /स्कीम का स्थान :-					
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र			छत्तीसगढ़ राज्य		
(ii)	जिला			बिलासपुर		
(iii)	वन प्रभाग			बिलासपुर		
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.)			18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ. सी. लाईन बिछाने के गैरवानिकी कार्य के लिये वनेत्तर प्रयोग हेतु प्रस्तावित राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) कुल 0.0191 हे. भूमि।		
(v)	वन की कानूनी स्थिति			आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-		
	क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	भूमि का प्रकार	वनकक्ष/ खसरा क्रमांक	प्रभावित भूमि का रकबा (हे. में)
	1	बिलासपुर	बिलासपुर	छोटे/बड़े झाड़ का जंगल	1081/3	0.0191
	राजस्व वनभूमि का योग					0.0191
(vi)	हरियाली का घनत्व			आवेदित वनभूमि के हरियाली का घनत्व निम्नानुसार है:-		
	क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	वनकक्ष क्रमांक	प्रभावित वनभूमि का रकबा हे. में	वनकक्ष के हरियाली का घनत्व
	1	बिलासपुर	बिलासपुर	1081/3	0.0191	0.2 से कम
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई /जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किए जाए।			एफ.आर.एल. एवं एफ.आर.एल. से 2 मीटर तथा 4 मीटर में आने वाले वृक्षों की गणना आवश्यक नहीं है। क्योंकि प्रकरण सिंचाई से संबंधित नहीं है।		
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी			भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता सामान्य है।		
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।			आवेदित वनभूमि वनक्षेत्र के अंदर ही है।		
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य,			नहीं।		

	जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाए)	
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/ संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है, यदि हां/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/ पारम्परिक स्थल /प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	आवेदित वनभूमि की आवश्यकता 18" ईच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के कार्य के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभ चल रहे हैं।	नहीं हुआ है।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	छत्तीसगढ़ राज्य के खैरागढ़ जिले के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत 5.2033 हे., बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत 0.0191 हे., कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत 2.0873 हे., जांजगीर -चांपा व सक्ती जिले के जांजगीर - चांपा वनमंडल अंतर्गत 4.8054 हे. एवं रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत 3.5758 हे. इस प्रकार 15.6909 हे. कुल वनभूमि प्रकरण में प्रभावित हो रही है। प्रभावित हो रही भूमि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये CA Land खैरागढ़ वनमण्डलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा एवं निर्धारित की जाने वाली राशि आवेदक संस्थान द्वारा वन विभाग को उनके मांग के अनुरूप जमा की जावेगी। दर में परिवर्तन होने पर उसके अंतर की राशि भी दी जावेगी। वचन पत्र संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	आवश्यक नहीं है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	आवश्यक नहीं है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय	आवश्यक नहीं है।

	दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)																						
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	आवेदित वनभूमि में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजाति नहीं पाई जाती है। आवेदित वनभूमि में कोई सुरक्षित पुरातात्विक/ पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र नहीं है। आवेदित वनभूमि की मांग 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के कार्य के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के किसी भी उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया है।																					
12.	विभाग / जिला प्रोफाईल																						
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	बिलासपुर जिला— 3508.00 वर्ग कि.मी.																					
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	<table><tr><td colspan="4">बिलासपुर वनमंडल का वनक्षेत्र निम्नानुसार है :-</td></tr><tr><td>क्र.</td><td>वन का प्रकार</td><td>रकबा (हे. में)</td><td>वर्ग (कि.मी. में)</td></tr><tr><td>1</td><td>आरक्षित वन</td><td>17303.100</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>2</td><td>संरक्षित वन</td><td>49346.500</td></tr><tr><td>3</td><td>असीमांकित वन</td><td>11686.600</td></tr><tr><td colspan="2">योग —</td><td>78336.200</td></tr></table>	बिलासपुर वनमंडल का वनक्षेत्र निम्नानुसार है :-				क्र.	वन का प्रकार	रकबा (हे. में)	वर्ग (कि.मी. में)	1	आरक्षित वन	17303.100		2	संरक्षित वन	49346.500	3	असीमांकित वन	11686.600	योग —		78336.200
बिलासपुर वनमंडल का वनक्षेत्र निम्नानुसार है :-																							
क्र.	वन का प्रकार	रकबा (हे. में)	वर्ग (कि.मी. में)																				
1	आरक्षित वन	17303.100																					
2	संरक्षित वन	49346.500																					
3	असीमांकित वन	11686.600																					
योग —		78336.200																					
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत पंजीकृत प्रकरणों में से बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत विभिन्न प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा जारी अंतिम चरण की स्वीकृति के पश्चात आवेदक संस्थानों को 723.378 हे. वनभूमि वनेत्तर प्रयोग के लिये हस्तांतरित की गई है।																					
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक : (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि । (ख) वनेत्तर भूमि पर	Nil 24.414 हे.																					
(v)	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वन भूमि । (ख) वनेत्तर भूमि पर ।	<table><tr><td>क्र.</td><td>वनमंडल का नाम</td><td>प्रकरण संख्या</td><td>क्षतिपूर्ति वनीकरण का रकबा हे. में</td></tr><tr><td>1</td><td>बिलासपुर</td><td>16</td><td>698.964</td></tr></table> <table><tr><td>क्र.</td><td>वनमंडल का नाम</td><td>प्रकरण संख्या</td><td>क्षतिपूर्ति वनीकरण का रकबा हे. में</td></tr><tr><td>1</td><td>बिलासपुर</td><td>1</td><td>24.414</td></tr></table>	क्र.	वनमंडल का नाम	प्रकरण संख्या	क्षतिपूर्ति वनीकरण का रकबा हे. में	1	बिलासपुर	16	698.964	क्र.	वनमंडल का नाम	प्रकरण संख्या	क्षतिपूर्ति वनीकरण का रकबा हे. में	1	बिलासपुर	1	24.414					
क्र.	वनमंडल का नाम	प्रकरण संख्या	क्षतिपूर्ति वनीकरण का रकबा हे. में																				
1	बिलासपुर	16	698.964																				
क्र.	वनमंडल का नाम	प्रकरण संख्या	क्षतिपूर्ति वनीकरण का रकबा हे. में																				
1	बिलासपुर	1	24.414																				

13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश ।	18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ. सी. लाईन बिछाने के कार्य से संबंधित प्रकरण को स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है ।
-----	---	---

(कुमार निशांत)

मा.व.से.

वन मंडल अधिकारी
वन एवं प्रजापत विभाग (स.ग.)
बिलासपुर वन मंडल बिलासपुर

चेकलिस्ट क्र.-26

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-III

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव का आनलाईन पंजीयन क्र.- FP/CG/Other/154619/2022

14.	स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हो/नही) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के गैरवानिकी कार्य के लिये वनेत्तर प्रयोग हेतु प्रस्तावित राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) कुल 0.0191 हे. आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है :- <table><tr><th>क्रं.</th><th>जिले का नाम</th><th>वनमंडल का नाम</th><th>भूमि का प्रकार</th><th>वनकक्ष / खसरा क्रमांक</th><th>प्रभावित भूमि का रकबा (हे. में)</th></tr><tr><td>1</td><td>बिलासपुर</td><td>बिलासपुर</td><td>छोटे/बड़े झाड़ का जंगल</td><td>1081/3</td><td>0.0191</td></tr><tr><td colspan="4">राजस्व वनभूमि का योग</td><td></td><td>0.0191</td></tr></table>	क्रं.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	भूमि का प्रकार	वनकक्ष / खसरा क्रमांक	प्रभावित भूमि का रकबा (हे. में)	1	बिलासपुर	बिलासपुर	छोटे/बड़े झाड़ का जंगल	1081/3	0.0191	राजस्व वनभूमि का योग					0.0191
क्रं.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	भूमि का प्रकार	वनकक्ष / खसरा क्रमांक	प्रभावित भूमि का रकबा (हे. में)															
1	बिलासपुर	बिलासपुर	छोटे/बड़े झाड़ का जंगल	1081/3	0.0191															
राजस्व वनभूमि का योग					0.0191															
15.	क्या संबंधित वन संरक्षण भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ																		
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	आवेदित राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) कुल 0.0191 हे. भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के कार्य के लिये स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।																		

तिथि :

स्थान:

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

चेकलिस्ट क्र.-26

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव
(भारत के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17.	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।	उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल (इण्डिया) लिमिटेड तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत बिलासपुर वन परिक्षेत्र के 0.0191 हे. राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) कुल 0.0191 हे. भूमि में 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के कार्य हेतु भूमि की मांग की गई है। उपरोक्त भूमि को गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार व्यपवर्तन किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

तिथि :-

स्थान :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
(भू-प्रबंध/व.सं.अ.)
रायपुर (छ.ग.)

चेकलिस्ट क्र.-26

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव
(भारत के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-V

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18.

राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग ख या भाग-ग या भाग घ) में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

तिथि :-

स्थान :-

चेकलिस्ट क्र.-26

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/वन मंडल अधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के गैरवानिकी कार्य																					
2	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल ईण्डिया लिमिटेड तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.)																					
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के गैरवानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग पर दिये जाने की मांग की गई है।																					
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल																			
		बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर																			
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण	बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत बिलासपुर वन परिक्षेत्र के राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) का रकबा 0.0191 हे. भूमि में 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के गैरवानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग पर दिये जाने की मांग की जाती है। इस कार्य से छत्तीसगढ़ राज्य को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं (उर्वरक, बिजली, इस्पात एवं कोयला क्षेत्र) द्वारा प्राकृतिक गैस/रिगैसीफाइड एलएनजी के उपयोग को सक्षम बनाया जा सकेगा।																					
	(क) आरक्षित वन	17303.100																					
	(ख) सीमांकित संरक्षित वन	49346.500																					
	(ग) असीमांकित संरक्षित वन	11686.600																					
	(घ) राजस्व वन क्षेत्र	<table><tr><td>क्र.</td><td>जिले का नाम</td><td>वनमंडल का नाम</td><td>भूमि का प्रकार</td><td>वनक्ष/खसरा क्रमांक</td><td>प्रभावित भूमि का रकबा (हे. में)</td></tr><tr><td>1</td><td>बिलासपुर</td><td>बिलासपुर</td><td>छोटे/बड़े झाड़ का जंगल</td><td>1081/3</td><td>0.0191</td></tr><tr><td colspan="4">राजस्व वनभूमि का योग</td><td></td><td>0.0191</td></tr></table>	क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	भूमि का प्रकार	वनक्ष/खसरा क्रमांक	प्रभावित भूमि का रकबा (हे. में)	1	बिलासपुर	बिलासपुर	छोटे/बड़े झाड़ का जंगल	1081/3	0.0191	राजस्व वनभूमि का योग					0.0191			
क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	भूमि का प्रकार	वनक्ष/खसरा क्रमांक	प्रभावित भूमि का रकबा (हे. में)																		
1	बिलासपुर	बिलासपुर	छोटे/बड़े झाड़ का जंगल	1081/3	0.0191																		
राजस्व वनभूमि का योग					0.0191																		
	योग -	0.0191 हे.																					
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	बिलापुर वनमंडल की प्रभावित हो रही वनभूमि मिश्रित वन है एवं इसकी स्थल गुण श्रेणी 3 है तथा कक्ष इतिहास के अनुसार आवेदित वनभूमि का औसत घनत्व 0.2 से कम दर्शित है।																					
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	आवेदित वनभूमि का औसत घनत्व 0.2 से कम हैं तथा आवेदित राजस्व वनभूमि में कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है।																					
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	प्राकृतिक सामान्य																					

9	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./ वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	प्रकरण विविध के अंतर्गत है।
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील /वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं।
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	नहीं।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं।

प्रमाण— पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक संस्थान द्वारा बिलासपुर वनमंडल के अंतर्गत बिलासपुर वन परिक्षेत्र के 0.0191 हे. राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) कुल 0.0191 हे. मांग की गई भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

(कुमार निशांत)

भा.व.से.

वनमंडल अधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (विभाग)
बिलासपुर वन मंडल बिलासपुर

चेकलिस्ट क्र.-26
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले
प्रस्ताव पर वनमंडल अधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन



स्थल निरीक्षण दिनांक :- 15/11/2022

(कुमार निशांत)
भा.व.से.
वन/मंडल अधिकारी
वन एवं जलवायु परिक्षेत्र विभाग
बिलासपुर वनमंडल विकास (कृ.ग.)

चेकलिस्ट क्र.-26

प्रपत्र-04

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत आवेदकों के अनुशंसित प्रस्तावों की सूचना बाबत

वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 अंतर्गत आवेदक उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल (इण्डिया) लिमिटेड तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.) द्वारा प्रस्तुत गैर वानिकी कार्य हेतु वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव पर प्रस्ताव का ऑनलाईन पंजीयन क्र.- **FP/CG/Other/154619/2022** आबंटित किया गया। आवेदित 0.0191 हे. राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) को वनमण्डलाधिकारी/नोडल अधिकारी/मध्यप्रदेश की अनुशंसा उपरांत सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक..... दिनांक से भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल/नई दिल्ली को प्रेषित कर दिया गया है।

धन्यवाद,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
(भू-प्रबंध/व.स.अ.)
रायपुर (छ.ग.)

चेकलिस्ट क्र.-26

प्रपत्र-05

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर नोडल अधिकारी (F.C.A.) छत्तीसगढ़ राज्य का अनुशंसा प्रमाण-पत्र

1. आवेदक संस्थान उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल (इण्डिया) लिमिटेड तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.) द्वारा 0.0191 हे. राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) कुल 0.0191 हे. भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति अधिनियम अंतर्गत चाही गई है।
2. प्रत्यावर्तित होने वाला वन क्षेत्र की स्थिति निम्नानुसार है :-
(अ) बिलासपुर वनमंडल की प्रभावित हो रही 0.0191 हे. राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) कुल 0.0191 हे. में मिश्रित वन है, कक्ष इतिहास के अनुसार इस कक्ष की स्थल गुण श्रेणी 3 है तथा वन का औसत घनत्व 0.2 से कम है। आवेदित भूमि में वृक्षों की संख्या निरंक है।
3. आवेदित क्षेत्र में राजस्व वनभूमि 0.0191 हे. की सीमा के अन्दर कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष विदोहन योजना की आवश्यकता नहीं है।
4. वनसंरक्षक/वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन से मैं सहमत हूँ।
5. आवेदित वनक्षेत्र की मांग न्यूनतम है, तथा वनभूमि प्रत्यावर्तन से Compensate करने हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न योजनाओं से मैं सहमत हूँ।
6. आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है एवं गैर वानिकी प्रयोजन हेतु विकल्प के रूप में कोई गैर वनभूमि उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

अतः आवेदक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत मांग की गई 0.0191 हे. वन/राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु छ.ग. शासन वन विभाग से स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
(भू-प्रबंध/व.स.अ.)
रायपुर (छ.ग.)

चेकलिस्ट क्र.-26

प्रपत्र-6

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वनमंडल अधिकारी द्वारा भरी जाने वाली जानकारीयें

1. छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत संबंधित जिलों की कुल वास्तविक भूमि का रकबा निम्नानुसार है:-

क्र.	वनमंडल का नाम	रकबा हे. में
1	बिलासपुर	350.800

2. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित जिलों के स्वीकृत प्रकरणों में अब तक निम्नानुसार वनभूमि प्रभावित हुई है :-

क्र.	वनमंडल का नाम	रकबा हे. में
1	बिलासपुर	723.378

3. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में निम्नानुसार वन भूमि प्रत्यावर्तित हुई है जिसका प्रयोजनावार (Project wise) कुल रकबा हेक्टेयर निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	रकबा हे. में
1	लघु खनिज परियोजना	24.414
2	वृहद खनिज परियोजना	—
3	सिंचाई परियोजना	500.155
4	विद्युत पावर परियोजना	148.370
5	विविध परियोजना	50.439
योग —		723.379

(कुमार निशांत)

भा.व.से.

वनमंडल अधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर विभाग
बिलासपुर वन मंडल बिलासपुर

कंडिका 07 के अनुक्रमांक-02 के 3 की जानकारी

क्र.	ग्राम	कैफियत	खसरा क्रमांक	लम्बाई मी. में	चौड़ाई मी. में	हेक्टेयर
1	परसदा किसान	छोटे/बड़े झाड़ का जंगल	1081/3	19.1	10	0.0191
राजस्व वनभूमि का योग				19.1	10	0.0191

(कुमार निशांत)

भा.व.से.

वन मंडल अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिलासपुर वन मंडल बिलासपुर (म.प्र.)

(एम.वी. अरविन्द)

उप महाप्रबंधक (परियोजना)

गेल (इंडिया) लिमिटेड

Deputy General Manager (Construction)

गेल (इंडिया) लिमिटेड, रायपुर

GAIL (India) Ltd. Raipur

कार्यालय वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

[OFFICE TELEPHONE NO. & FAX -07752-226082]

[e-mail-dfo_bsp@rediffmail.com]

क्रमांक/तक./.....5914

बिलासपुर, दिनांक 15/11/22

प्रति,

उप महाप्रबंधक(निर्माण),
गेल(इंडिया) लिमिटेड रायपुर,
द्वितीय तल, अरिएना-द बुटीक होटल,
व्ही.आई.पी. चौक, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.) पिन-492001

विषय :- Nagpur-Jharsuguda Pipeline (MNJPL Project) : Diversion of 0.0191 Ha. of Forest land in Bilaspur Forest Division for laying of underground Natural Gas Pipeline along with Optical Fiber Cable (OFC) from Nagpur to Jharsuguda (under MNJPL Project) through Reserved Forest/Protected Forest/Revenue Forest in Chhattisgarh State.

पंजीयन क्र. FP/CG/Others/154619/2022

संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्र./Ref.No.GAIL/MNJPL/Forest/Bilaspur/2022 दिनांक 23.09.2022
2. इस कार्यालय का पत्र क्र./तक./5252 दिनांक 10.10.2022

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत इस कार्यालय, के पत्र संदर्भ क्र. 02 द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु निर्धारित तिथि 14.10.2022 को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया था। वर्तमान में स्थल निरीक्षण दिनांक 15/11/2022 को समय प्रातः 10.00 बजे निर्धारित किया जाता है।

स्थल निरीक्षण के दौरान स्थल पर आपके प्रतिनिधि की उपस्थित सुनिश्चित करें साथ ही स्थल का सीमांकन एवं चिन्हांकन प्रदर्शित किया जावे। इसके अतिरिक्त परियोजना का इंडेक्स मैप एवं सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा स्थल निरीक्षण हेतु साथ रखा जावे।

सहपत्र :- शून्य।

पृ.क्रमांक/तक./.....5915

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. वन परिक्षेत्राधिकारी, बिलासपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आप परिक्षेत्र सहायक सीपत, ग्राम किसान परसदा की राजस्व वन भूमि जिसका जी.पी.एस. कोऑर्डिनेट N22°2'39" एवं E82°17'36" के मौका स्थल पर निर्धारित तिथि को उपस्थित रहने के लिये निर्देशित करें।

वनमंडलाधिकारी

बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर दिनांक 15/11/22

वनमंडलाधिकारी

बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)